रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 949] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2014/वैशाख 5, 1936
No. 949] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2014/VAISAKHA 5, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2014

का.आ. 1150(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12ए (नया रा.रा. क्र. 30) के कि.मी. 268.345 से कि.मी. 316.075 तक के भूखण्ड (म.प्र. सीमा चिल्पी–सिमगा सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा, छत्तीसगढ़** को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमाँक–12ए (नया रा.रा. क्र–30) पर किमी. 268.345 से किमी. 316.050 तक (म.प्र. सीमा चिल्पी–सिमगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बेमेतरा	बेमेतरा	1. बहेरा	1087	निजी	कृषि	0.083
				1089	निजी	कृषि	0.066
				1102	निजी	कृषि	0.185
				1081/1/2/3	निजी	कृषि	0.411
			2. बैजी	550	निजी	कृषि	0.039
				551	निजी	कृषि	0.047
				553/1	निजी	कृषि	0.009
				554	निजी	कृषि	0.039
				555	निजी	कृषि	0.027
				608	निजी	कृषि	0.014
				609	निजी	कृषि	0.109
				611	निजी	कृषि	0.250
				614	निजी	कृषि	0.121
				613	निजी	कृषि	0.109
				612	निजी	कृषि	0.104
			3. लोलेसरा	256	निजी	कृषि	0.020
				257/1/2	निजी	कृषि	0.020
				1280	निजी	कृषि	0.064
				1281	निजी	कृषि	0.040
			4. पिकरी	337/2	निजी	कृषि	0.122
			5. बेमेतरा	92/10	निजी	निर्मित	0.005
				92/12	निजी	निर्मित	0.049
				92/6	निजी	निर्मित	0.041
				96/2	निजी	निर्मित	0.050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				133/6, 132	निजी	कृषि	0.200
				133/7	निजी	कृषि	0.837
				133/8, 133/10	निजी	कृषि	0.943
				131	निजी	कृषि	0.098
				119	निजी	कृषि	0.075
				130/2	निजी	कृषि	0.316
				98/3	निजी	कृषि	0.010
				121	निजी	कृषि	0.215
				122/3	निजी	कृषि	0.043
				122/4	निजी	कृषि	0.114
				122/2	निजी	कृषि	0.177
				123/2	निजी	कृषि	0.090
				123/3	निजी	कृषि	0.373
				307	शासकीय	बंजर भूमि	0.177
				264/1	निजी	कृषि	0.249
				299	निजी	कृषि	0.250
				298	निजी	कृषि	0.052
				297/1	शासकीय	बंजर भूमि	0.073
				297/2	शासकीय	बंजर भूमि	0.174
				264/12	निजी	कृषि	0.043
				297/3	शासकीय	बंजर भूमि	0.127
				293/1	निजी	कृषि	0.082
				293/2	निजी	कृषि	0.145
				292	निजी	कृषि	0.043
				292/2	निजी	कृषि	0.009
				281/3	निजी	कृषि	0.166
				286/1	निजी	कृषि	0.125
				288/1	निजी	कृषि	0.018
				277/1	निजी	कृषि	0.015
				287/1	निजी	कृषि	0.169
				287/2	निजी	कृषि	0.124

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				277/3	निजी	कृषि	0.108
				368/1	निजी	कृषि	0.084
				369/1	निजी	कृषि	0.117
				369/2	निजी	कृषि	0.091
				371	निजी	कृषि	0.454
				373	निजी	कृषि	0.079
				374	निजी	कृषि	0.099
				459	निजी	कृषि	0.465
				458	निजी	कृषि	0.194
				457	निजी	कृषि	0.084
				456	निजी	कृषि	0.065
				455	निजी	कृषि	0.054
				467	निजी	कृषि	0.020
				449	निजी	कृषि	0.345
				447	निजी	कृषि	0.065
				448	निजी	कृषि	0.157
				445	निजी	कृषि	0.303
				487	निजी	कृषि	0.573
				435	निजी	कृषि	0.956
				434	निजी	कृषि	0.301
				1364/102	निजी	कृषि	0.159
				1375	निजी	कृषि	0.029
				1379	निजी	कृषि	0.231
				1380	निजी	कृषि	0.011
				-	शासकीय	सड़क	0.072
				1360	निजी	कृषि	0.235
				1359	निजी	कृषि	0.323
				1361	निजी	कृषि	0.427
				1341	निजी	कृषि	0.213
				1331	निजी	कृषि	0.072
				1333	निजी	कृषि	0.138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1330/103	निजी	कृषि	0.152
				1335	शासकीय	नाली	0.062
				1336/1	निजी	कृषि	0.071
				1337	निजी	कृषि	0.393
				1338/1/2/3/4	निजी	कृषि	0.044
				1336/2	निजी	कृषि	0.016
			6. मोहभट्ट	104	निजी	कृषि	0.301
				107	निजी	कृषि	0.438
				106/3	निजी	कृषि	0.094
				106/2	निजी	कृषि	0.053
				119	निजी	कृषि	0.463
				117	निजी	कृषि	0.327
				115/3	निजी	कृषि	0.265
				116/4	निजी	कृषि	0.120
				116/3	निजी	कृषि	0.195
				116/2	निजी	कृषि	0.230
				116/1	निजी	कृषि	0.162
				181	शासकीय	सड़क	0.081
				180	निजी	कृषि	0.315
				182	निजी	कृषि	0.823
				189/1/2	शासकीय	कृषि	0.026
				218	शासकीय	कृषि	0.121
				217	निजी	कृषि	0.455
				225/4	निजी	कृषि	0.121
				225/3	निजी	कृषि	0.413
				225/1/2	निजी	कृषि	0.147
				216/2	निजी	कृषि	0.039
				216/1	निजी	कृषि	0.149
				227	निजी	कृषि	0.102
				229	निजी	कृषि	0.336
				211/1	निजी	कृषि	0.018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				211/2	निजी	कृषि	0.037
				210/2	निजी	कृषि	0.198
				210/1	निजी	कृषि	0.018
				209	निजी	कृषि	0.272
				206	निजी	कृषि	0.084
				208	निजी	कृषि	0.108
				230/3	निजी	कृषि	0.059
				230/2	निजी	कृषि	0.145
				234/5	निजी	कृषि	0.509
				236	निजी	कृषि	0.515
				237	निजी	कृषि	0.273
				238	निजी	कृषि	0.021
			7. कोबिया	2	निजी	बंजर भूमि	0.215
				11	निजी	बंजर भूमि	0.128
				16	निजी	बंजर भूमि	0.018
				17	निजी	बंजर भूमि	0.088
				18	निजी	बंजर भूमि	0.028
				19	निजी	बंजर भूमि	0.064
				1445	निजी	बंजर भूमि	0.005
				1444	निजी	बंजर भूमि	0.023
				1443	निजी	बंजर भूमि	0.031
			8. सिन्घौरी	271	निजी	कृषि	0.043
				272	निजी	कृषि	0.057
				273	शासकीय	कृषि	0.020
				275	शासकीय	बंजर भूमि	0.187
						Total	**23.757**

[फा. संख्या. आर डब्ल्यू/एन एच-37014/10/2013-एन एच डीपी-IVए]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2014

S.O. 1150(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening /four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-12A (New NH-30) in the stretch of land from **Km 268.345 to Km 316.075 (M.P. Border Chilpi-Simga Section)** in district of **Bemetara** in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (l) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Bemetara, District Bemetara, Chhattisgarh** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure within the land of stretch from KM.268.345 to 316.075 (M.P. Border Chilpi-Simga Section) of the National Highway-12A (New NH-30) in the State of Chhattisgarh

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area in Hect.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	(5)	(6)	(7)	**(8)**
1	Bemetara	Bemetara	1. Bahera	1087	Private	Agrt	0.083
				1089	Private	Agrt	0.066
				1102	Private	Agrt	0.185
				1081/2/3	Private	Agrt	0.411
			2. Baiji	550	Private	Agrt	0.039
				551	Private	Agrt	0.047
				553/1	Private	Agrt	0.009
				554	Private	Agrt	0.039
				555	Private	Agrt	0.027
				608	Private	Agrt	0.014
				609	Private	Agrt	0.109
				611	Private	Agrt	0.250
				614	Private	Agrt	0.121
				613	Private	Agrt	0.109
				612	Private	Agrt	0.104
			3. Lolesara	256	Private	Agrt	0.020
				257/1/2	Private	Agrt	0.020
				1280	Private	Agrt	0.064
				1281	Private	Agrt	0.040

			4. Pikri	337/2	Private	Agrt	0.122
			5. Bemetara	92/10	Private	Built up	0.005
				92/12	Private	Built up	0.049
				92/6	Private	Built up	0.041
				96/2	Private	Built up	0.050
				133/6,132	Private	Agrt	0.200
				133/7	Private	Agrt	0.837
				133/8,133/10	Private	Agrt	0.943
				131	Private	Agrt	0.098
				119	Private	Agrt	0.075
				130/2	Private	Agrt	0.316
				98/3	Private	Agrt	0.010
				121	Private	Agrt	0.215
				122/3	Private	Agrt	0.043
				122/4	Private	Agrt	0.114
				122/2	Private	Agrt	0.177
				123/2	Private	Agrt	0.090
				123/3	Private	Agrt	0.373
				307	Govt.	Barren Land	0.177
				264/1	Private	Agrt	0.249
				299	Private	Agrt	0.250
				298	Private	Agrt	0.052
				297/1	Govt.	Barren Land	0.073
				297/2	Govt.	Barren Land	0.174
				264/12	Private	Agrt	0.043
				297/3	Govt.	Barren Land	0.127
				293/1	Private	Agrt	0.082
				293/2	Private	Agrt	0.145
				292	Private	Agrt	0.043
				292/2	Private	Agrt	0.009
				281/3	Private	Agrt	0.166
				286/1	Private	Agrt	0.125
				288/1	Private	Agrt	0.018
				277/1	Private	Agrt	0.015
				287/1	Private	Agrt	0.169
				287/2	Private	Agrt	0.124
				277/3	Private	Agrt	0.108
				368/1	Private	Agrt	0.084
				369/1	Private	Agrt	0.117
				369/2	Private	Agrt	0.091
				371	Private	Agrt	0.454
				373	Private	Agrt	0.079

				374	Private	Agrt	0.099
				459	Private	Agrt	0.465
				458	Private	Agrt	0.194
				457	Private	Agrt	0.084
				456	Private	Agrt	0.065
				455	Private	Agrt	0.054
				467	Private	Agrt	0.020
				449	Private	Agrt	0.345
				447	Private	Agrt	0.065
				448	Private	Agrt	0.157
				445	Private	Agrt	0.303
				487	Private	Agrt	0.573
				435	Private	Agrt	0.956
				434	Private	Agrt	0.301
				1364/102	Private	Agrt	0.159
				1375	Private	Agrt	0.029
				1379	Private	Agrt	0.231
				1380	Private	Agrt	0.011
				-	Private	Road	0.072
				1360	Private	Agrt	0.235
				1359	Private	Agrt	0.323
				1361	Private	Agrt	0.427
				1341	Private	Agrt	0.213
				1331	Private	Agrt	0.072
				1333	Private	Agrt	0.138
				1330/103	Private	Agrt	0.152
				1335	Govt.	drain	0.062
				1336/1	Private	Agrt	0.071
				1337	Private	Agrt	0.393
				1338/1/2/3/4	Private	Agrt	0.044
				1336/2	Private	Agrt	0.016
			6. Mohbhatt	104	Private	Agrt	0.301
				107	Private	Agrt	0.438
				106/3	Private	Agrt	0.094
				106/2	Private	Agrt	0.053
				119	Private	Agrt	0.463
				117	Private	Agrt	0.327
				115/3	Private	Agrt	0.265

				116/4	Private	Agrt	0.120
				116/3	Private	Agrt	0.195
				116/2	Private	Agrt	0.230
				116/1	Private	Agrt	0.162
				181	Govt.	ROAD	0.081
				180	Private	Agrt	0.315
				182	Private	Agrt	0.823
				189/1, 2	Govt.	Agrt	0.026
				218	Govt.	Agrt	0.121
				217	Private	Agrt	0.455
				225/4	Private	Agrt	0.121
				225/3	Private	Agrt	0.413
				225/1,2	Private	Agrt	0.147
				216/2	Private	Agrt	0.039
				216/1	Private	Agrt	0.149
				227	Private	Agrt	0.102
				229	Private	Agrt	0.336
				211/1	Private	Agrt	0.018
				211/2	Private	Agrt	0.037
				210/2	Private	Agrt	0.198
				210/1	Private	Agrt	0.018
				209	Private	Agrt	0.272
				206	Private	Agrt	0.084
				208	Private	Agrt	0.108
				230/3	Private	Agrt	0.059
				230/2	Private	Agrt	0.145
				234/5	Private	Agrt	0.509
				236	Private	Agrt	0.515
				237	Private	Agrt	0.273
				238	Private	Agrt	0.021
			7. Kobia	2	Private	Barren Land	0.215
				11	Private	Barren Land	0.128
				16	Private	Barren Land	0.018
				17	Private	Barren Land	0.088
				18	Private	Barren Land	0.028
				19	Private	Barren Land	0.064
				1445	Private	Barren Land	0.005

				1444	Private	Barren Land	0.023
				1443	Private	Barren Land	0.031
			8. Singhouri	271	Private	Agrt	0.043
				272	Private	Agrt	0.057
				273	Govt.	Agrt	0.020
				275	Govt.	Barren Land	0.187
						Total	**23.757**

[F. No. RW/NH-37014/10/2013-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2014

का.आ. 1151(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12ए (नया रा.रा. क्र. 30) के कि.मी. 268.345 से कि.मी. 316.075 तक के भूखण्ड (म.प्र. सीमा चिल्पी—सिमगा सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी, साजा, जिला—बेमेतरा, छत्तीसगढ़** को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप—धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमॉक—12ए (नया रा.रा.क्र—30) पर किमी. 268.345 से किमी. 316.050 तक (म.प्र. सीमा चिल्पी—सिमगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम. स.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बेमेतरा	बेरला	1. कठिया	7	निजी	कृषि	0.079
				99/1	शासकीय	निर्मित	0.105
				176	शासकीय	बंजर भूमि	0.489

				324	निजी	कृषि	0.016
				436	निजी	कृषि	0.192
			2. तिवरैया	596	शासकीय	बंजर भूमि	0.046
			3. टेमरी	34/2	निजी	कृषि	0.003
				16	शासकीय	बंजर भूमि	0.047
				15	शासकीय	बंजर भूमि	0.231
				223	शासकीय	निर्मित	0.400
				210	शासकीय	सड़क	0.044
				185	शासकीय	बंजर भूमि	0.082
				183/1/2	निजी	कृषि	0.626
				119	निजी	कृषि	1.532
				182	निजी	कृषि	0.304
				122	निजी	कृषि	0.220
				121	निजी	कृषि	0.529
				117	निजी	कृषि	0.495
				116/4	निजी	कृषि	0.170
				114/1/2/3	निजी	कृषि	0.468
				115	निजी	कृषि	0.040
				93	निजी	कृषि	0.420
				97	निजी	कृषि	0.909
				93/1	निजी	कृषि	0.041
				94	निजी	कृषि	0.206
				81	शासकीय	सड़क	0.050
				80/5/7/8	निजी	कृषि	1.089
				75	शासकीय	निर्मित	0.961
						कुल	9.794

[फा. सं- आर डब्ल्यू/एन एच-37014/10/2013-/एन एच डीपी-IVए]

माया प्रकाश, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2014

S.O. 1151(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening /four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-12A (New NH-30) in the stretch of land from **Km. 268.345 to Km. 316.075 (M.P. Border Chilpi-Simga Section)** in district of **Bemetara** in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (l) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Bemetara, District Bemetara, Chhattisgarh** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure within the land of stretch from KM. 268.345 to 316.075 (M.P. Border Chilpi-Simga Section) of the National Highway-12A (New NH-30) in the State of Chhattisgarh

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area in Hect.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bemetara	Berla	1. Kathiya	7	Private	Agrt	0.079
				99/1	Govt.	Built up	0.105
				176	Govt.	Barren Land	0.489
				324	Private	Agrt	0.016
				436	Private	Agrt	0.192
			2. Tivraiya	596	Govt.	Barren Land	0.046
			3. Temari	34/2	Private	Agrt	0.003
				16	Govt.	Barren Land	0.047
				15	Govt.	Barren Land	0.231
				223	Govt.	Built up	0.400
				210	Govt.	Road	0.044
				185	Govt.	Barren Land	0.082
				183/1/2	Private	Agrt	0.626
				119	Private	Agrt	1.532
				182	Private	Agrt	0.304
				122	Private	Agrt	0.220
				121	Private	Agrt	0.529
				117	Private	Agrt	0.495
				116/4	Private	Agrt	0.170
				114/1/2/3	Private	Agrt	0.468
				115	Private	Agrt	0.040

				93	Private	Agrt	0.420
				97	Private	Agrt	0.909
				93/1	Private	Agrt	0.041
				94	Private	Agrt	0.206
				81	Govt.	Road	0.050
				80/5/7/8	Private	Agrt	1.089
				River 75	Govt.	River	0.961
						Total	9.794

[F. No. RW/NH-37014/10/2013-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.